न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 82/2024

दायर दिनांक–06.06.2024

1. श्री सीमेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर ब्यावर जरिये अधिकृत एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कमल किशोर शर्मा उर्फ के0 के0 शर्मा पुत्र जयसीताराम जाति ब्राहम्ण उपमहाप्रबंधक निवासी श्री सीमेंट ब्यावर हाल नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. करणीराम पुत्र किशना जाति जाट निवासी ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री चंद्रकांत शर्मा
वकील अनावेदक :– एकपक्षीय

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: <u>आदेश</u> ::–

दिनांक 05.08.2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम चौढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.1700 है0, भूमि खसरा नम्बर 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 628, 629 कुल किता 11 कुल रकबा 4.7300 है0 स्थित है। उक्त भूमि को आवेदक श्री सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान सरकार के खान ग्रुप 2 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प0 2 (113) खान/ ग्रुप–2/2007 दिनांक 12/04/2019 के आदेश द्वारा खनन पटटा एम0एल0 नम्बर 47/2007 वास्ते खनिज लाइमस्टोन ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ में आवंटित की गई है जो खनन पटटा लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्व किया गया है। उक्त भूमि में 7/8 हिस्सा अर्थात 4.1387 है0 भूमि का खातेदार वादी श्री सीमेंट लिमिटेड है तथा 1/7 हिस्सा अर्थात 0.5912 है0 भूमि का खातेदार बिलानाम सिवायचक माइनिंग लीज श्री सीमेंट लिमिटेड है। इस प्रकार उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात कुल 4.7300 है0 भूमि आवेदक खातेदार है। उक्त भूमि में अनावेदक की नियत खराब हो गई है व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने के उदेश्य से निर्माण कार्य करने को अमादा है तथा इसने गैरकानूनी तरीके से विवादित भूमि में ईंट पत्थर डालकर निर्माण कार्य चालू करने की कोशिश कर रहा है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। अगर अनावेदक अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो आवेदक को अपार क्षति होगी। इसलिए आवेदक को इस आश्य की अस्थाइ निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य नही करें न ही अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर आदि से करवाये।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम चौढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.1700 है0, भूमि खसरा नम्बर 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 628, 629 कुल किता 11 कुल रकबा 4. 7300 है0 भूमि मे आवेदक के उपयोग उपभोग मे बाधा नही पहुचाये तथा किसी प्रकार का निर्माण नही करने के लिए अनावेदक को पाबंद किया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि का संपूर्ण हिस्सा आवेदक का है जिसपर अनावेदक अवैध निर्माण कार्य करने पर अमादा है जिसे पाबंद किया जावे कि वह ऐसा कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभ[illegible] प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं का तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

आवेदक की मुख्य आपत्ति विवादग्रस्त भूमि में अनावेदक द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को रोकने बाबत अनावेदक को पाबंद करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सवत् 2075–78 से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में आवेदक रिकॉर्डेड खातेदार है तथा पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि को आवेदक को सुपुर्द कर दिया गया है जिससे आवेदक का उक्त भूमि पर कब्जा साबित होता है। अप्रार्थी द्वारा बावजूद तामिल न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा है तथा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों बाबत किसी प्रकार का खंडन नही किया गया है। आवेदक उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है जिस कारण वह अनावेदक को अपनी खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नही करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में साबित होता है।

- **अपूरणीय क्षति :–** विवादग्रस्त भूमि आवेदक की खातेदारी की भूमि है जिसमें अनावेदक द्वारा अवैध निर्माण किया जाने पर आवेदक को अपार क्षति होना प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम चौढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 1.1700 है0, भूमि खसरा नम्बर 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 628, 629 कुल किता 11 कुल रकबा 4.7300 है0 भूमि में आवेदक के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही करे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/08/24

(हकाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.07 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested